भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2669

दिनांक 4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जैविक कृषि उत्पादों हेतु विनियामक ढांचा

2669. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैविक कृषि उत्पादों के व्यापार, बिक्री और आयात के विनियमन के संबंध में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की सरकारों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या मंत्रालय ने एफएसएसएआई, एपीईडीए तथा अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से जैविक कृषि उत्पादों के लिए विद्यमान विनियामक ढांचे की समीक्षा की है;
(ग) क्या नकली जैविक उत्पादों के विरुद्ध कड़े उपायों के संबंध में संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है; और
(घ) क्या सरकार का नकली जैविक उत्पादों पर अंकुश लगाने तथा भारत के जैविक कृषि निर्यात और घरेलू बाजार की विश्वसनीयता की रक्षा करने के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत में जैविक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) मानक है। जैविक मानकों पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एक पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए) है, जो 24.09.2025 से लागू हुआ है। न्यूज़ीलैंड के संबंध में एक अंतरिम पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए) पर सहमति बनी है, जो भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए के लागू होने की तारीख से प्रभावी होगी।

सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, जो एनपीओपी का सचिवालय है, एनपीओपी विनियमों में संशोधन के लिए एफएसएसआई सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद, 5 जनवरी, 2025 को एनपीओपी का आठवाँ संस्करण अधिसूचित किया गया, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 180 दिनों के बाद लागू हुआ।

जैविक कानूनी एवं विनियामक ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए- ताकि गैर अनुपालनों का समाधान किया जा सके, नकली जैविक उत्पादों पर रोक लगाई जा सके तथा भारत के जैविक कृषि निर्यातों की विश्वसनीयता की रक्षा की जा सके, एनपीओपी के आठवें संस्करण में कठोर प्रावधान तथा प्रतिबंध पेश किए गए हैं, जिनमें प्रमाणीकरण निकायों, प्रमाणित परिचालकों आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर-अनुपालनों के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं। जैविक उत्पादक समूहों के बाहरी सेवा प्रदाताओं के खिलाफ भी दण्डात्मक प्रावधान शुरू किए गए हैं, जो उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर-अनुपालन, जिसमें गलत जानकारी भी शामिल है, के लिए एक और निवारक के रूप में कार्य करेंगे।

घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों का व्यापार खाद्य सुरक्षा एवं मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017, के तहत कवर किया जाता है जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के साथ पढ़ा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) घरेलू जैविक व्यापार की निगरानी करने वाली एक नोडल एजेंसी है, यह एजेंसी हितधारको द्वारा मानको का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम करती है।
